फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

भैरूलाल पिता लालुराम व्यास निवासी कपासन हाल गांधीनगर चित्तौड़गढ़

बनाम

बालुराम पिता लालुराम मृत्तक के बजाएः–लोकेश पिता बालुराम ब्राह्मण वगैरा

प्रकरण संख्या 31/2021 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.05.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलांट तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 की तामील अब तक शेष है। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् आदिनांक तक रेस्पो. संख्या 2 से 4 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया तथा प्रकरण में दिनांक 01.10.2021 से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। अधिवक्ता अपीलांट को अनुपस्थित रहने तथा नोटिस प्रोसेस पेश नहीं करने से दिनांक 25.08.2022 को अंतिम अवसर तथा दिनांक 19.01.2023 को न्याय हित में एक अतिरिक्त अवसर ओर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने तथा नोटिस प्रोसेस पेश नहीं करने पर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी फिर भी अधिवक्ता अपीलांट आज भी उपस्थित नहीं हुए हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	